बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 164235
ग्रा.वि.-7(आं0)-06/2013(खंड)

पटना, दिनांक 24-09-2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय :- **ग्राम पंचायत के सचिव का पद रिक्त / अतिरिक्त प्रभार में होने की स्थिति में मनरेगा योजना की बैठक में संबंधित कार्यकारिणी की बैठक की कार्यवाही मात्र का संचालन प्रभारी सचिव के रुप में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किये जाने के संबंध में ।**

प्रसंग :- कार्यकारिणी की बैठक से संबंधित विभागीय प्रपत्र 143492 दिनांक 26.03.2013 ।

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि अतिरिक्त प्रभार वाले पंचायतों के कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक वृहस्पतिवार को की जायेगी ।

जिलों द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यकारिणी की बैठक की स्थिति की समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा है कि बहुत सारे पंचायतों में पंचायत सचिव के पद रिक्त होने के कारण एक पंचायत सचिव के पास दो से अधिक पंचायतों के कार्य-भार है, जिसके फलस्वरुप पंचायतों में कार्यकारिणी की बैठक जो प्रति सप्ताह ग्राम पंचायत सचिव के उपस्थिति में आयोजित होती है, नियमित रुप से नहीं हो पा रही है ।

मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 50 प्रतिशत से अन्यून कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना है । पंचायत द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में पंचायत कार्यकारिणी की

23.9.13

भूमिका पर निर्गत उपर्युक्त प्रासांगिक पत्र में, अतिरिक्त प्रभार वाले पंचायतों के लिये मात्र एक और दिन यथा वृहस्पतिवार को बैठक करने का निदेश निर्गत है । दिनों की संख्या बढाने से logistic संबंधी परेशानी बढेगी तथा पंचायत सचिव के अन्य दायित्व भी प्रभावित होंगे ।

कार्यकारिणी की बैठक पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत निर्धारित व्यवस्था है जिसमें पंचायत सचिव सदस्य सचिव के रुप में इनके कार्यवाही का संधारण करते हैं । मनरेगा अंतर्गत नियत समय में काम उपलब्ध कराने एवं भूगतान करने की बाध्यता तथा पंचायत सचिवों के कमी के कारण आ रही परेशानी के मद्देनजर जबतक सभी पंचायतों में सचिव के रिक्त पद नहीं भर लिये जाते तब तक के लिये निम्नवत कार्यकारी व्यवस्था लागू करने का निदेश दिया जाता है :-

1. **मनरेगा योजना के क्रम में ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जायेगी जिसमें पंचायत सचिव अपने मूल प्रभार के पंचायत में सचिव संबंधी दायित्वों का निर्वहण करेंगे । संबंधित पंचायत रोजगार सेवक उनका सहयोग करेंगे ।**
2. **ऐसे पंचायत जहाँ पंचायत सचिव अतिरिक्त प्रभार में हैं वहाँ पंचायत सचिव के रिक्त पद के भरे जाने तक, मात्र मनरेगा संबंधी कार्यकारिणी की बैठकों के लिये उक्त पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक मात्र उक्त बैठकों के लिये प्रभारी सचिव के दायित्वों का निर्वहण करेंगे तथा मनरेगा संबंधी सभी आवश्यक कार्यों की सम्पुष्टि करायेंगे एवं कार्यवाही को संबंधित पंजी में संधारित करेंगे । यह बैठक भी मंगलवार को हीं होगी ।**

कार्यकारी व्यवस्था पर पंचायती राज विभाग सहमत है । तदनुसार प्रासंगिक पत्र को यथा संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

23.9.13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव